अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या.– 110/2018–19

केश का प्रकार : बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–09(1) के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकारः– मो0 मुस्तकीम

प्रतिपक्षीः– नवीजान वगैरह

आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर अर्जीकारः– मो0 मुस्तकीम पे0 मो0 उसमान साकिन– ठरेसरी जगतपुर प्रतिपक्षीः– 1– मो0 नवीजान पे0 अब्दुल रहमान साकिन–जगतपुर ठरेसरी 2– शहनाज बेगम जौजे मो0 सकील अंसारी 3– फकीर अहमद पे0 लाल मोहम्मद अंसारी 4– फिरोज अंसारी, फैयाज अंसारी, मो0रियाज अंसारी, रइसा खातून पेसरान स्व0 मो0 यासीन अंसारी 5–दुःखनी देवी जौजे स्व0 सिकन्दर राम 6– मो0 कासीम पे0 स्व0 मनीर 7– सबरी देवी जौजे रमेश प्रसाद	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, रहिका से प्राप्त पत्र के आधार पर प्रारम्भ किया गया। आदेशफलक में लिखा गया है कि भूमि सुधार, उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी के पत्रांक– 145 दिनांक–07.02.2019 के द्वारा अभिलेख संख्या–01/18–19 आवेदक मो0 मुस्तकीम बनाम नवीजान वगैरह में आदेशित किया गया कि बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के तहत जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी के न्यायालय में भेजें। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये जमाबंदीदार/वारिशानों को अपना–अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अभिलेख में संलग्न स्थानीय आम लोगों की ओर से अंचल अधिकारी, रहिका को संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन दिया गया जिसमें लिखा गया है कि ग्राम–ठरहेसरी पोस्ट–जगतपुर अंचल–रहिका में पूराना खाता संख्या– 805 खेसरा संख्या– 5907 बिहार सरकार की भूमि है जो किस्म–परती कदीम गैर मजरूआ खास है, जिसे अतिक्रमण किया जा रहा है। संलिप्त सभी व्यक्ति एक सोंची समझी साजिस के तहत आपस में समझौता कर अपना–अपना हिस्सा तय कर कोई उच्च दाम पर बेच रहा है तो कोई इस पर भवन निर्माण कर रहा है। हम ग्रामीण एवं प्रशासनिक पदाधिकारी एवं अधिकारी को इस मुद्दे पर से ध्यान भटकाने के लिए सभी आपस में मुकदमा एक दुसरे पर करते रहते हैं एवं आपस में विवाद करते रहे हैं। उक्त सरकारी भूमि की पैमाईस कराकर अतिक्रमण से मुक्त कराया जाय तथा हो रहे अतिक्रमण को रोका जाय। आवेदक ने सुनवाई के क्रम में आवेदन दिया कि स्व0 यानीस अंसारी की पत्नी भी स्वर्गवास हो चुकी है। तीन पुत्र वो एक पुत्री को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये जिन्हें अब उक्त पक्षकार बनाया जाय। स्व0	

यासीन अंसारी का नाम हटाकर पुत्र/पुत्री 1–फिरोज अंसारी 2–मो0 फैयाज अंसारी 3–रियाज अंसारी एवं 4– रइसा खातून पेसरान स्व0 यासीन को पक्षकार बनाया जाय। जिसे स्वीकार कर पक्षकार बनाकर इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।

अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में अंकित जमाबंदीदारों/आवेदक को निबंधित डाक से सूचना के माध्यम से आक्षेप प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत पक्ष/साक्ष्य की सुनवाई कर वाद को आदेशार्थ रखा गया।

1– मो0 मुस्तकीम पे0 मो0 उसमान साकिन– ठरेसरी जगतपुर थाना वो अंचल–रहिका ने आवेदक के रूप में वकालतनामा के साथ वकालतन पक्ष रखा।

प्रतिपक्षी के रूप में :–

1– मो0 फकीर अहमद पे0 लाल मो0 अंसारी 2–मो0 दुःखनी देवी जौजे स्व0 सिकन्दर राम 3– मो0 कासीम पे0 स0 मनीर का संयुक्त वकालतनामा के साथ वकालतन पक्ष प्रस्तुत किया गया।

1– मो0 नवीजान पे0 स्व0 अब्दुल रहमान साकिन– बाजार सप्ता 2–' शहनाज बेगम जौजे मो0 शकील अंसारी साकिन–चभच्चा चौक का संयुक्त वकालतनामा के साथ वकालतन पक्ष प्रस्तुत किया गया।

आवेदक मो0 मुस्तकीम की ओर से प्रस्तुत पक्ष का संक्षिप्त विवरणः–

1– मौजा जगतपुर खाता संख्या– 508 खेसरा संख्या– 5907 रकवा 19 कट्ठा 5 धूर गैर मजरूआ खास जमीन है। विपक्षीगण अंचल को धोखा देकर 1 बिगहा 9 कट्ठा 14 धूर का जमाबंदी कायम करवा कर सरकारी जमीन को बेचने पर उतारू है। जमाबंदी रद्द करने हेतु यह वाद लाया गया है ताकि सरकारी जमीन का दुरूपयोग नहीं हो सके।

2– भूमि सुधार उप समाहर्ता ने भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या– 43/17–18 में संतुष्ट होकर जमाबंदी रद्दीकरण का वाद दायर करने हेतु अंचल अधिकारी को आदेश दिया।

3– रेंट फिक्सेशन के आधार पर जो विपक्षीगण जमीन का दावा करते हैं वह भी सरासर गलत है। किसी भी व्यक्ति को सही रूप से रेंट फिक्सेशन नहीं हुआ है।

4– सरकारी जमीन को खरीद–बिक्री कर केवाला के आधार पर दाखिल खारिज कर जमाबंदी कायम करवा लिया गया है, जो गलत है।

5– खाता संख्या– 508 खेसरा संख्या– 5907 रकवा 4 कट्ठा श्मशान घाट का भी जमाबंदी विपक्षीगण कायम करवा लिये हैं।

6– खाता संख्या– 508 खेसरा संख्या– 5907 का कुल रकवा 19 कट्ठा 14 धूर है जबकि उक्त जमीन का जमाबंदी 1 बिगहा 9 कट्ठा 14 धूर का चलता है इससे साफ जाहिर होगा कि विपक्षीगण सरकार को धोखा देकर जमाबंदी कायम करवा लिया है जो रद्दीकरण योग्य है।

7– जमाबंदी संख्या–773/774, 1955, 3364, 2879, 2866 एवं 2867 को रद्द किया जाय ताकि सरकारी जमीन बच सके।

8– अंचल अधिकारी, रहिका ने पत्रांक–452 दिनांक– 24.02.2010 द्वारा उप समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी को जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख संख्या– 1/2010–11 अनुशंसा के साथ भेजा जिसमें लिखा गया है कि मो0 कासीम एवं सिकन्दर राम को बिना अंचल अधिकारी, के बंदोवस्ती का प्रस्ताव भेजे ही लगान निर्धारण करवाने में सफल रहा जिस लगान निर्धारण के आधार पर मो0 कासीम सर्वे न्यायालय में फॉर्म–एम0 4 लगान रसीद एवं उप समाहर्ता भूमि सुधार

मधुबनी का लगान निर्धारण वाद संख्या-- 8/05--06 की प्रति के आधार पर सर्वे न्यायालय से भी अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करा लिया जबकि उपरोक्त भूमि का पहले सुयोग्य श्रेणी के साथ बन्दोवस्त होना चाहिए था, तत्पश्चात् लगान निर्धारण। मो0 कासिम के नाम से लगान निर्धारण के तहत कायम जमाबंदी संख्या-- 3364, 2879 मौजा--जगतपुर के खाता--508 खेसरा 5907 रकवा 0--7--4 धुर एवं सिकन्दर राम के नाम से कायम जमाबंदी संख्या--1955 खाता 508 खेसरा 5907 रकवा 0--8--1 एवं सिकन्दर राम में से खारीज रकवा 0--1--12 जमाबंदी संख्या-- 259 तथा 2598 से खारीज होकर जमाबंदी संख्या-- 2866 रकवा 0--0--16 धुर खाता 508 खेसरा-- 5907 रकवा 0--0--16 धुर खाता--508 खेसरा--6960 फकीर मोहम्मद पे0 लाल मो0 अंसारी के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा किया गया था। (फोटो कॉपी संलग्न)

विपक्षी मो0 फकीर अहमद, मोसमात दुखनी देवी वो मो0 कासीम की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर का मुख्य अंश:--

1--मौजा--जगतपुर थाना वो अंचल--रहिका जिला--मधुबनी का खाता संख्या-- 508 खेसरा संख्या-- 5907 का कुल रकवा 19 कट्ठा 5 धुर है जो पुराना खतियान गैर मजरूआ खास परती कदीम दर्ज है। मोसमात दुखनी रकवा 8 कट्ठा 1 धुर वो मो0 कासीम रकवा 7 कट्ठा 4 धुर का दावा करते हैं।

2-- यासीन अंसारी को विपक्षी बनाया गया है जबकि यासीन का देहान्त हो चुका है। मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध यह वाद नलिटी है।

3-- मौजा--जगतपुर थाना वो अंचल--रहिका का पुराना खाता संख्या-- 508 खेसरा संख्या-- 5907 कुल रकवा 19 कट्ठा 5 धुर में से रकवा 2 कट्ठा 4 धुर वजरिये रेन्ट फिक्सेसन केश संख्या-- 12/1966--67 मो0 रमजानी मियॉ कुजरा दादा विपक्षी मो0 कासीम के नाम से हासिल हुआ उसका जमाबंदी संख्या--2009 हुआ जो एकजाय होकर जमाबंदी संख्या--2879 पर जमा हुआ।

5-- रेन्ट फिक्सेसन वाद संख्या--8/2005--06 पुराना खेसरा संख्या-- 5907 रकवा 5 कट्ठा मो0 कासीम के नाम से हासिल हुआ जिसका जमाबंदी संख्या-- 3364 रकवा 5 कट्ठा दर्ज हुआ। इस प्रकार मो0 कासीम को कुल रकवा 7 कट्ठा 4 धुर हासिल हुआ जिस पर वे हकीयत दखलकार हैं जिसका मालगुजारी जमाबंदी संख्या-- 2879 एवं 3364 बनाम मो0 कासीम हासिल करते आ रहे हैं।

6-- पुराना खाता संख्या-- 508 खेसरा संख्या-- 5907 रकवा 19 कट्ठा 5 धूर में से 8 कट्ठा 1 धुर वजरिये बन्दोवस्ती केस संख्या-- 36/99 वर्ष 1962--63 अनुसूचित जाति का होने के आधार पर सिकन्दर राम को हासिल हुआ जिसका जमाबंदी संख्या-- 1955 कायम हुआ जिसका मालगुजारी हासिल करते आ रहे हैं। बाद में सिकन्दर राम की मृत्यु होने पर उनकी मसोमात पत्नी दुखनी देवी ने पुराना खेसरा संख्या--1907 रकवा 1 कट्ठा 12 धूर केवाला से बिनोद कुमार प्रसाद को बिक्री कर दखल दे दिया। जिसका जमाबंदी संख्या--1955 से खारिज होकर 2598 कायम हुआ ।

7-- बिनोद कुमार प्रसाद ने वजरिये केवाला 16 धुर जमीन मो0 यासीन को एवं 16 धुर मो0 फकीर अहमद को बिकी कर दखल दे दिया जिसका जमाबंदी 2866 वो 2867 कायम हुआ।

8– पुराना खेसरा संख्या–5907 का बकिये रकवा 4 कट्ठा शमशान घाट में चला गया जिसपर श्मशान घाट कायम है।

9– इस प्रकार उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के नाम कायम जमाबंदी रद्द योग्य नहीं है।

10– विपक्षी मो0 नवीजान एक जाली फरेबी बनावटी बन्दोवस्ती रसीद के आधार पर रकवा 14 कट्ठा 9 धुर का एक जमाबंदी संख्या– 773/774 कायम करवा लिया जिससे सारा विवाद पैदा हुआ।

11– भूमि सुधार उप समाहर्ता मधुबनी के न्यायालय में चले वाद संख्या– 1/10–11 में मो0 नवीजान के नाम से चल रहे जमाबंदी संख्या–773/774 को गलत करार दिया जिससे उत्पन्न अन्य जमाबंदी संख्या– 4314 बनाम सहनाज बेगम (विपक्षी) जमाबंदी संख्या–4648 बनाम सबरी देवी गलत साबित होता है।

12– अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख संख्या–01/18–19 में संलग्न प्रतिवेदनानुसार सारे तथ्यों से साबित होगा कि विपक्षीगण के नाम से चल रहे जमाबदी संख्या–2598, 2866, 2867, 2879 वो 3364 किसी प्रकार से भी रद्द होने योग्य नहीं है। अनुशंसा के अनुसार जमाबंदी संख्या– 773/774 बनाम मो0 नवीजान एवं उससे उत्पन्न अन्य जमाबंदी संख्या– 4314 बनाम सहनाज बेगम एवं जमाबंदी संख्या– 4648 बनाम सबरी देवी रद्द होने योग्य है।

13– भूमि सुधार उप समाहर्ता ने बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत वाद संख्या– 01/2010–11 मो0 कासीम बनाम मो0 नवीजान में मो0 नवीजान के जमाबंदी संख्या– 773/774 में खेसरा संख्या– 5907 का कोई रकवा शामिल नहीं पाया तथा उक्त खेसरा के किसी भी अंश पर दखल कब्जा भी नहीं पाते हुये आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करते हुये अंचल अधिकारी को निदेश दिया कि जमाबंदी संख्या– 773/774 बनाम नवीजान को निरस्त करते हुये कृत कार्रवाई से अवगत करावें।

14– उप समाहर्ता, भूमि सुधार के वाद संख्या– 1/10–11 में पारित आदेश के विरूद्ध मो0 नवीजान विपक्षी ने आयुक्त दरभंगा के न्यायालय में अपील संखय– 5/2010 नवीजान बनाम मो0 कासीम वगैरह दायर किया जो स्वीकृत हुआ एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

15– मोस0 दुखनी ने बी0एल0टी0न्यायालय पटना में वाद संख्या– 600/2014 दुखनी –बनाम– आयुक्त वगैरह दायर किया जिसमें पुनः आयुक्त महोदय के न्यायालय में वाद को रिमाण्ड कर दिया गया तथा आयुक्त महोदय के आदेश को निरस्त कर दिया।

16– वर्तमान में आयुक्त दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के न्यायालय में वाद लंबित चला आ रहा है।

17– अंचल अधिकारी ने पुनः भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण का अभिलेख संधारित कर भेजा जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा आदेशित किया गया कि चूँकि अपील वाद आयुक्त महोदय दरभंगा के न्यायालय में विचाराधीन लंबित है वैसी स्थिति में सिकन्दर राम मोची वो मो0 कासिम के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

18– अंचल अधिकारी ने सारे तथ्यों के आधार पर उप समाहर्ता, भूमि सुधार सदर मधुबनी द्वारा अभिलेख संख्या–1/2010–11 में पारित

आदेश में जमाबंदी संख्या– 773/774 एवं उससे खारिज जमाबंदी संख्या– 4314 वो 4648 बना है जिस पर तत्काल रोक लगा दिया गया है जो निरस्त योग्य है।

19– खाता संख्या– 508 खेसरा संख्या– 5907 कुल रकवा 19 कट्ठा 5 धुर में से कायम जमाबंदी संख्या– 1955–बनाम–सिकन्दर राम एवं जमाबंदी संख्या– 2866 बनाम मो0 यासीन अंसारी एवं जमाबंदी संख्या– 2867 बनाम– फकीर अहमद एवं जमाबंदी संख्या– 2879 बनाम मो0 कासीम वो जमाबंदी संख्या– 3364 बनाम मो0 कासीम जॉच परखकर पूरी प्रक्रिया को अपनाकर कायम किया गया जो हर तौर पर निरस्त होने योग्य नहीं है। जमाबंदी संख्या– 773/774 बनाम अब्दुल रहमान वो जमाबंदी संख्या– 4314 बनाम शहनाज बेगम एवं जमाबंदी संख्या– 4648 बनाम सबरी देवी निरस्त होने योग्य है।

20– सारे तथ्यों का पूर्ण अवलोकन कर उचित आदेश पारित किया जाय।

विपक्षी मो0 नवीजान पे0 अब्दुल रहमान मरहूम एवं विपक्षी शहनाम बेगम जौजे मो0 शकील अंसारी की ओर से प्रस्तुत पक्ष का संक्षिप्त विवरण:–

1– खेसरा संख्या–5907 रकवा 19 क़ट्ठा 5 धूर भूतपूर्व जमींदार राज दरभंगा की परती कदीम था, जिसे राज दरभंगा ने 1916 ई0 में खेसरा संख्या–5907 में से 14 कट्ठा 9 धूर जमीन अब्दुल रहमान पे0 रोजाई मियॉ को बंदोवस्त कर दखल दे दिया। जिसका जमाबंदी संख्या–743/774 अब्दुल रहमान के नाम से कायम हुआ।

2– चन्द्रशेखर दत्ता ने खेसरा संख्या–5907 रकवा 14 कट्ठा 9 धुर के संबंध में मुंसिफ दोएम मधुबनी के न्यायालय में हकीयत मोकदमा संख्या– 1711/1916 दायर किया जो 01.07.1917 को खारिज कर दिया।

3– भूतपूर्व जमींदार द्वारा प्रश्नगत जमीन का रिटर्न अब्दल रहमान पे0 रोजाई मियॉ के नाम से दाखिल किया।

4– जमींदारी उन्मूलन के बाद बिहार सरकार को मालगुजारी अदाय किया जाता रहा ।

5– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रश्नगत जमीन का अभिधारी खाता पुस्तिका अब्दुल रहमान के नाम से निर्गत हुआ। प्रश्नगत जमीन के अंश में विपक्षी का आवासीय घर है जिसमें वे अपने परिवार के साथ रह रहे हैं।

6– विपक्षीगण की अनुपस्थिति में सर्वे अमला प्रश्नगत जमीन का रिविजनल सर्वे खतियान अनाबाद बिहार सरकार अवैध दखलकार सिकन्दर राम के नाम से अंदर खाता 8870/9019 निर्गत कर दिया।

7– विपक्षी के द्वारा बी0टी0एक्ट की धारा–106 के अंदर हकीयत वाद दायर किया गया। हकीयत वाद संख्या–434/05 में विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित हुआ तथा हकीयत वाद 435/05 अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध रिभीजन वाद 80/89 सर्वे सेटलमेंट दरभंगा के न्यायालय में दायर किया।

8– अंचल अमला ने विपक्षीगण के बहकावे में आकर 1993 में विपक्षी के पिता को बेदखल करने का प्रयास किया। अब्दुल रहमान ने हकीयत वाद संख्या–327/53 बिहार सरकार एवं अन्य के विरूद्ध दायर किया जिसमें अब्दुल रहमान के पक्ष में आदेश पारित हुआ।

9– बिहार भूमि निराकरण अधिनियम 2009 के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में वाद संख्या–43/17–18 दायर हुआ जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता ने खाता–508 खेसरा–5907 में जितने भी

जमाबंदी चल रही है उसका रद्दीकरण का प्रस्ताव देने का आदेश अंचल अधिकारी को दे दिया जिसके विरूद्ध आयुक्त दरभंगा दरभंगा के न्यायालय में अपील संख्या–05/2019–11 दाखिल किया। आयुक्त दरभंगा ने भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश को निरस्त कर दिया।

10– आवेदकगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0संख्या– 14464/2015 पब्लिक इन्ट्रेस्ट के तहत प्रश्नगत जमीन के निसवत दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रश्नगत जमीन को पब्लिक इन्ट्रेस्ट का विवाद नहीं माना तथा उक्त वाद को पारित आदेश 23.03.2017 द्वारा खारिज कर दिया।

11– मो0 नवीजान ने जरूरत के आधार पर केवाला के माध्यम से एक कट्ठा जमीन शहनाज बेगम को बिक्री कर दखल दे दिया। अंचल अधिकारी ने दाखिल खारिज वाद संख्या–1286/15–16 द्वारा जमाबंदी कायम कर दिया जिसका मालगुजारी अदा करते आ रहे है।

12– जमाबंदी पंजी में जमाबंदी संख्या– 773/774 खेसरा संख्या– 5907 रकवा 14 कट्ठा 7 धुर विपक्षी के नाम से चल रहा है जिसका मालगुजारी 2009–10 तक निर्गत है।

13– आवेदकगण मधुबनी में चल रहे भूमि माफिया के सदस्य हैं तथा विपक्षीगण के दखल वाली जमीन को गलत सबूत के आधार पर दावा करते हैं। मो0 मुस्तकीम ने गलत आवेदन दाखिल किया है। आवेदक ने खेसरा–5907 रकवा 19 कट्ठा 5 धुर को गैर मजरूआ खास जाहिर किया जो गलत है।

14– प्रश्नगत जमीन का रेन्ट फिक्सेशन का कोई सवाल नहीं उठता है बल्कि जमाबंदी दाखिल खारीज के आधार पर चल रहा है। प्रश्नगत जमीन में कभी श्मशान घाट नहीं था वो न है।

15– प्रश्नगत जमीन के संबंध में चल रहे जमाबंदी में कोई अनियमितता नहीं है तथा पूर्ण रूप से वैध्य है जिसका रद्दीकरण का सवाल ही नहीं उठता है।

सारे तथ्यों की विवेचनोपरांत स्थिति निम्नवत् पायी गयीः–

(01)– अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा प्रेषित अभिलेख संख्या–01/18–19 में संलग्न भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी के न्यायालय लगान निर्धारण वाद संख्या–8/05–06 मो0 कासीम बनाम बिहार सरकार में दिनांक–01.12.2006 को पारित आदेश की सच्ची प्रति की छाया प्रति संलग्न की गयी है। भूमि सुधार उप समाहर्ता ने आदेशफलक में लिखा है कि अंचल अधिकारी, रहिका के प्रतिवेदनानुसार मौजा– जगतपुर के खेसरा संख्या– 5907 के कुल रकवा 0–19–15 धूर है जिसमें से मो0 कासीम पेसर स्व0 मनीर ग्राम–ठहहेसरी के दखल कब्जा में 0–7–4 धुर जमीन है। मो0 कासीम द्वारा पूर्व में 0–2–4 धूर का लगान निर्धारण हो चुका है जिसकी रसीट कट रही है। इसके अतिरिक्त 0–5–0 पर अभी आवेदक का दखल कब्जा है। खातां संख्या– 508 खेसरा संख्या– 5907 रकवा 0–5–0 जमीन गैर मजरूआ खास परती कदीम का लगान निर्धारण किये जाने की अनुशंसा की गयी जिसके आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्ता ने उक्त वाद में आदेश पारित करते हुये मो0 कासीम के पक्ष में लगान निर्धारण का आदेश पारित किया गया तथा फॉर्म–एम0 0–5–0 (पॉच कट्ठा) का ज्ञापांक–92 दिनांक– 07.02.2007 निर्गत किया गया जिसकी छाया प्रति संलग्न।

(02)–बिहार भूमि विवाद निराकरण के तहत वाद संख्या– 43/17–18 मो0 मुस्तकीम –बनाम– नवीजान वगैरह में भूमि सुधार उप समाहर्ता,

सदर, मधुबनी द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.06.2018 में अंचल अधिकारी को आदेशित किया गया कि मौजा– जगतपुर खाता–508 खेसरा– 5907 में जितने भी जमाबंदी चल रही है उसका रद्दीकरण का प्रस्ताव दें ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई कर उसे निरस्त किया जा सके।

(03)–रिविजनल सर्वे खतियान का विवरण:–

खाता संख्या–508 खेसरा संख्या–5907 नाम आसामी–गैर मजरूआ खास, किस्म जमीन– परती कदीम रकवा 0–19–05 (उनीस कट्ठा पॉच धूर) है।

(04)– भूमि विवाद अपील वाद संख्या–05/2010–11 मो0 नवीजान बनाम मो0 कासीम में आयुक्त महोदय, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा दिनांक–24.05.2014 को पारित आदेश में अपीलकर्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या– 01/10–11 में दिनांक– 21.08.2010 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया।

(05)– The Bihar Land Tribunal, Case No. 600/2014 Most. Dukhani Devi Wife of Late Sikandar Ram – Versus- The Divisional Commissioner, Darbhanga Division District Darbhanga and Others में दिनांक–12.05.2016 को पारित आदेश की अंतिम कण्डिका :–

Considering the aforesaid facts and circumstances of the case, this case is being remanded back to the learned Divisional Commissioner, Darbhanga, Division, Darbhanga, for giving an opportunity to the petitioner as well as the opposite parties and here the case afresh and pass a reasoned and speaking order.As the **matter related to the Kabristan** and more over concern with Hindu and the Muslim religion the Commissioner should be more diligent while passing the order. Before passing the order, a spot vefification by the independent Revenue Officer is seems to be a must and it should be (Verification report) part of the record. With the aforesaid observation/ direction this application is allowed and order of the Commissioner is set aside.

(06)– भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी द्वारा लगान निर्धारण वाद संख्या–8/05–06 मो0 कासीम बनाम बिहार सरकार में दिनांक– 01.12.2006 को पारित आदेशानुसार मौजा–जगतपुर के खाता संख्या– 508 खेसरा संख्या– 5907 रकवा 0–5–0 (पॉच कट्ठा) जमीन गैर मजरूआ खास परती कदीम का लगान निर्धारण की स्वीकृति प्रदान किया गया।

(07)–मो0 नवीजान ने अपने पक्ष में लिखा है कि सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या–6094/2016 मो0 नवीजान–बनाम–राज्य सरकार एवं अन्य तथा सी0डब्लू0.जे0सी0संख्या–2496/17 माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन लंबित है।

निष्कर्षः—

आवेदक के आवेदन पर राजस्व अभिलेखों के आधार पर अंचल अधिकारी, रहिका ने वस्तु—स्थिति की जॉचोपरान्त जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख इस न्यायालय में अग्रसारित किया।

खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि खाता संख्या—508 खेसरा संख्या—5907 नाम आसामी—गैर मजरूआ खास, किस्म जमीन— परती कदीम रकवा 0—19—05 (उनीस कट्ठा पॉच धूर) है। परती कदीम भूमि सरकार के खाते की है किन्तु तत्कालीन अंचल अमालाओं की गलती एवं गलत प्रतिवेदन के कारण रैयत के नाम दाखिल खारिज के आधार पर जमाबंदी कायम हुआ यहॉ तक कि भू—स्वामित्व प्रमाण पत्र भी निर्गत कर दिया गया जिसके कारण इस तरह की समस्यायें उत्पन्न हुयी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का **CIVIL APPEAL NO. 1132 OF 2011** में आदेश है कि सर्व साधारण भूमि सार्वजनिक उपयोग, प्रयोजनार्थ भूमि होती है, जिसका उपयोग आम जनता करती है और उस पर समान रूप से सभी वर्गो के ग्रामीणों का सुखाधिकार होता है, जिसे राज्य सरकार के अलावे किसी को बन्दोवस्त करने का अधिकार नहीं दी जा सकती।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के अ0स0पत्रांक—820(6)/रा0 दिनांक—15.07.2011 की कंडिका—4 में उल्लेखित किया गया है कि **CIVIL APPEAL NO. 1132 OF 2011** जगपाल सिंह एवं अन्य—बनाम— पंजाब राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2011 को पारित आदेश/निर्णय मील का पत्थर **(Milestone)** माना जाना चाहिए।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी के न्यायालय बिहार भूमि विवाद निराकरण 2009 के तहत वाद संख्या—43/17—18 मो0 मुस्तकीम—बनाम—नवीजान वगैरह में एक पक्षीय सुनवाई कर राजस्व कागजात के आधार पर मौजा जगतपुर खाता— 508, खेसरा—5907 में जितनी भी जमाबंदी चल रही है उसका रद्दीकरण का प्रस्ताव अंचल अधिकारी, रहिका को दिये जाने का दिनांक—12.06.2018 को आदेश पारित किया गया, जिसका अनुपालन नहीं हो पाया।

अंचल अधिकारी अपने अंचल अंतर्गत पड़नेवाली भूमि के संरक्षक होते हैं तथा उनका मुख्य दायित्व सरकारी भूमि की रक्षा करना है। खतियान सरकारी खाता की है किन्तु विभिन्न रैयतों ने सरकारी भूमि को हड़पने का असफल प्रयास किया। तत्कालीन अंचल अमलाओं की चूक/गलती के कारण इस तरह की समस्यायें उत्पन्न हुई है तथा जमाबंदी कायम किये जाने के कारण सरकारी भूमि का बंदरबांट हुआ है।

अंचल अधिकारी, ने अपने आदेशफलक में लिखा है कि जमाबंदी संख्या— 773/774 से विवाद उत्पन्न हो गया है। वैसी स्थिति में सरकारी खाते की भूमि का कायम जमाबंदी संख्या— 773/774 एवं उससे खारिज होकर सृजित जमाबंदियों को संदेहास्पद एवं अवैध पाते हुये उसे रद्द किया जाता है तथा सरकार के खाते में लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

अंचल अधिकारी को यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि

खाता संख्या–508 खेसरा संख्या–5907 नाम आसामी–गैर मजरूआ खास, किस्म जमीन– परती कदीम रकवा 0–19–05 (उनीस कट्ठा पॉच धूर) जमीन का यदि बिना सक्षम प्राधिकार के बन्दोवस्ती किये ही लगान निर्धारण कर दिया गया तथा उसके आधार पर रैयतों के नाम जमाबंदी कायम हो गया तो प्रश्नगत सरकारी खाते की भूमि से संबंधित सभी जमाबंदी में सन्निहित भूमि के लगान निर्धारण के विरूद्ध अपील वाद सक्षम पदाधिकारी के न्यायालय में साक्ष्य के साथ दायर करें ताकि उचित निर्णय हो सके।

बी0एल0टी0वाद में पारित माननीय न्यायादेश के आलोक में रिमाण्ड वाद में आयुक्त महोदय के माननीय न्यायालय में वाद दायर किये जाने का जिक्र पक्षकार द्वारा किया गया है किन्तु न्यायादेश के संबंध में कोई साक्ष्य किसी भी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

एक प्रतिपक्षी ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या–6094/2016 मो0 नवीजान–बनाम–राज्य सरकार एवं अन्य तथा सी0डब्लू0.जे0सी0संख्या–2496/17 माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद विचाराधीन लंबित होने का जिक्र किया है परन्तु न्यायादेश के संबंध में कोई जानकारी इस न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराया है। माननीय उच्च न्यायालय/सिविल न्यायालय/आयुक्त महोदय का न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। यदि वरीय माननीय न्यायालय का कोई विपरीत आदेश प्रश्नगत भूमि के संबंध में पारित हुआ हो तो वैसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः विलोपित माना जायेगा।

इसी ऑबजर्वेशन के साथ उक्त वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रहिका को अनुपालन हेतु भेजें। अंचल अधिकारी अपने स्तर से उक्त आदेश से पक्षकारों को भी अवगत करा देंगे।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम अपीलीय न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

21/4/17

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

21/4/17

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।